30.9.24 वकील इश्तगासा उपस्थित। वकील सायल ने निवेदन किया, कि गैरसायलान को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे। वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करते हुऐ कथन किया कि प्रकरण में जवाब प्रा०पत्र की आवश्यकता नहीं है, चूंकि सायल का मूलवाद बंटवारे का है और वह यह कथन करते हुऐ प्रार्थना पत्र पेश कर रहें कि ~~उत्तरदा~~ गैरसायलान विवादित आराजी का बंटवारा नहीं करना चाहते है व सायल को बेदखल करना चाहते है, सायल के यह कथन मिथ्या व गैरसायलान को हैरान व परेशान करने के लिए है। गैरसायलान ने मूलवाद प्रारम्भिक डिक्री किये जाने में सहमति दी है और उन्होंने किसी भी प्रकार का विवादित आराजी पर निर्माण कार्य ~~किया~~ नहीं किया है और ना करने की उनकी मंशा है। गैरसायलान विवादित आराजी के सहखातेदार है, राजस्व मण्डल के RRT 2016 पेज संख्या 637 के अन्तर्गत सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए 212 RTA खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया इश्तगासा की बहस का मनन किया, सायल का मूलवाद बंटवारे का है गैरसायलान को बंटवारे से कोई आपत्ति नहीं है, सायल एवं गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा सायल को काश्त से रोका हो या सायल को अपूर्णीय क्षति कारित हो। इसलिए प्रा०पत्र 212 खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

आदेश
खारिज कि...
की जारी ...
की जाती ...
संलग्न मूल...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अतः आदेश है कि प्रा०पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। एवं दिनांक 13.8.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर संलग्न मूलवाद रहे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर मुख्या० धौलपुर (राज०)	